



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

तृतीय तल, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर,

अटल नगर, पिन-492002 (छत्तीसगढ़)

दूरभाष-0771-2511285, फ़ैक्स-0771-2511288, ई-मेल: office.mdnrhmc@gmail.com



पत्र क्र./NHM/HR/2024/526/1172

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/08/2024

// विज्ञापन //

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (PM-ABHIM) कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई हेतु निम्नांकित रिक्त संविदा पद की पूर्ति के लिये योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से दिनांक 09/08/2024 से 29/08/2024 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

भाग - 'अ'

01. रिक्त पदों का विवरण -

राज्य स्तरीय पद								
स. क्र.	पदनाम	मुक्त					निर्धारित शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	एकमुश्त मासिक वेतनमान
		अ. ना.	अ. ज. जा.	अ. जा.	अ. पि. व.	कुल पद		
1	State Consultant-(Procurement)	1	0	0	0	1	MBA in Logistic and Supply Chain Management/Procurement and Supply Chain Management full time regular course recognised by UGC/AICTE with 03 years experience in Hospital procurement and supply chain. Note - Preference will be given to the candidates having experience in Health Sector procurement and supply chain.	65,000/-
Total		1	0	0	0	1		

भाग-ब

आवेदन-पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश

01.

आवेदन पत्र के संबंध में :-

- 1.1 आवेदक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में विज्ञापन का प्रारूप देख सकते हैं।
- 1.2 दिनांक 09/08/2024 से 29/08/2024 सायं 05:00 बजे तक विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 1.3 विज्ञापन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन हेतु अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकर नहीं किये जायेंगे। अतः अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन में संलग्न करना सुनिश्चित करें अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. आयु सीमा :-

- 2.1 01 जनवरी, 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2024 को आधार मानकर की जायेगी।

03. आवेदन शुल्क :-

- 3.1 परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क के संबंध में राज्य शासन के सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय द्वारा परीक्षा शुल्क माफ किये जाने के संबंध में जारी पत्र क्रमांक एफ 10-2/2022/एक (1) दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जावेगा।

3.2 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क -

संवर्ग	शुल्क का विवरण	
	25000/- प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों हेतु	25000/- प्रतिमाह से अधिक वेतनमान वाले पदों हेतु
विकलांग/महिला	100	200
अनारक्षित वर्ग	300	400

- 3.3 अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु शुल्क ऑनलाइन माध्यम से ही देय होगा। देय शुल्क का Reference Number का उल्लेख करने पर ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण (Incomplete)/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी, ऐसे आवेदन पत्र तत्काल अमान्य कर दिये जावेंगे।

[Handwritten signatures and marks]

- 3.4 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- 3.5 अन्य राज्यों के आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। किन्तु पृथक-पृथक आवेदन पत्र भरना होगा। परीक्षा शुल्क आवेदित पदों में उच्चतम वेतन के अनुरूप एक बार ही देय होगा तथा उक्त शुल्क भुगतान का Reference Number समस्त आवेदनों में अंकित कर Final Save करना अनिवार्य होगा।
- 3.6 अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन पोर्टल में दिये गये Fee Payment link में Click करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें। भुगतान करने के पश्चात् किये गये भुगतान का विवरण Application Fee Section में भरकर Final Save of Application पर Click करें। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- 3.7 **Final Save of Application** करने के बाद आवेदन पत्र डाउनलोड कर अभ्यर्थी स्वयं का हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को स्कैन कर PDF अपलोड कर **Final Submit** पर Click करेंगे। हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अपलोड कर **Final Submit** करने पर ही आवेदन मान्य किया जावेगा।

4 भर्ती प्रक्रिया :-

- 4.1 प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों की स्क्रूटनी उपरांत दावा-आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में पृथक से किया जायेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- 4.2 दावा-आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि में केवल आवेदन पत्र में भरे गये दस्तावेज के संबंध में ही मान्य किया जावेगा। अन्य नवीन दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।
- 4.3 संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे। किसी भी प्रकार के आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों के द्वारा दावा करने पर उनके वर्ग पद में नियमानुसार प्राथमिकता दिया जावेगा।
- 4.4 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।
- 4.5 प्राप्त आवेदनो में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार/चयन हेतु आमंत्रित किया जावेगा :-

(Handwritten signatures and marks)

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

4.6 लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है :-

- 10वीं अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री।
- संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता, फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)।

4.7 लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य सूची :-

- 4.7.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता(स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का-65 प्रतिशत।
- 4.7.2 अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों से संबंधित को ही मान्य किया जायेगा। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- 4.7.3 अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।

4.7.4 निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा। इस हेतु अनुभव आवेदित पद से संबंधित होना अनिवार्य है।

4.7.5 विज्ञापन में निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता के उपरांत किये गये कार्य अवधि के अनुभव की गणना की जावेगी।

4.8 अंतिम चयन सूची :-

- 4.8.1 पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जावेगा।
- 4.8.2 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों/सेमेस्टर्स के प्राप्तांकों के प्रतिशत का-65 प्रतिशत।
- 4.8.3 अनुभव 10/15 अंक संबंधित पदों के ही मान्य किये जावेंगे। (एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक) अधिकतम 10 अंक)
- 4.8.4 अनुभव प्रमाणपत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- 4.8.5 निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
- 4.8.6 कौशल परीक्षा-20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/साक्षात्कार/अन्य के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
- 4.8.7 कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के कुल अंकों का 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। 40 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में उम्मीदवारों को अपात्र माना जावेगा।
- 4.8.8 अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य मूल शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक, अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा में प्राप्तांकों के जोड़ के आधार पर तैयार की जावेगी। जहां पर शैक्षणिक योग्यता प्राथमिकता क्रम में दर्शित हो वहाँ पर अंतिम चयन हेतु प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में दर्शित प्राथमिकता क्रम के अनुसार ही रहेगी।
- 4.8.9 प्रावीण्य सूची में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के पश्चात् ही अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी। छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।

ajmerashi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

4.1 प्रतीक्षा सूची :-

उक्त पद के लिये वर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा उक्त पद के लिये नवीन भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।

3 भर्ती के संबंध में अन्य शर्तें :-

- 5.1 यह भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम - 2012 के अधीन होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- 5.2 "उक्त भर्ती माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी"।
- 5.3 मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी समय किसी पत्र/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 5.4 विज्ञापन अनुसार समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नियमित पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 5.5 शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी, ए.आई.सी.टी.ई एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- 5.6 उपरोक्त विज्ञापित संविदा पद PM-ABHIM योजना वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए होगी। PM-ABHIM योजना की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञापित पद स्वयंसेवक समाप्त माना जावेगा।
- 5.7 संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता एवं सुविधा देय नहीं होगी।
- 5.8 संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रति वित्तीय वर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वित्तीय वर्ष हेतु की जा सकती है। भारत सरकार द्वारा PM-ABHIM के अंतर्गत प्राप्त स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी।

Signature

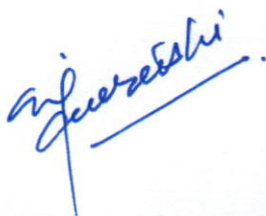
Signature

Signature

Signature

Signature

- 5.9 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम – 2012 के नियमानुसार संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 5.10 संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
- 5.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 5.12 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
- 5.13 विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- 5.14 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- 5.15 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
- 5.16 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।
- 5.17 भर्ती प्रक्रिया पर होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
- 5.18 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
- 5.19 चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार नियंत्रणकर्ता एवं उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.20 अपरिहार्य कारणों से आवश्यकतानुसार उक्त विज्ञापन को निरस्त किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार नियंत्रणकर्ता अधिकारी का होगा।











6 अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- 6.1 अभ्यर्थी द्वारा दावा-आपत्ति के दौरान ईमेल आई.डी. nhmcdgdaappati@gmail.com में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा आपत्ति हेतु पृथक से सूचना विभागीय वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी।
- 6.2 परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी व लिखित/कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा परीक्षा स्थान की जानकारी समय-समय पर केवल विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।
- 6.3 आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर में ली जावेगी, जिसमें सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 6.4 ऑनलाईन आवेदन भरते समय किसी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु कार्यालयीन फोन नंबर 0771-2511301 एवं भर्ती संबंधी जानकारी हेतु फोन नंबर 0771-2511285 पर समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।



मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़